संख्या-70/2022/ 3416/001-58-1-2022 2 3 2

प्रेषक,

**महावीर प्रसाद गौतम,**
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 03 अक्टूबर, 2022

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02- समाज कल्याण 102- बाल कल्याण- 89-संगत राज्यांश - 8902- समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद 61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस० एन०ए० में अन्तरण" में कुल प्रावधानित धनराशि रू0 111573.40 लाख के सापेक्ष संगत राज्यांश रू0 37500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक-533/बा0वि0परि0/लेखा /2022-23, दिनांक 16 अगस्त, 2022 एवं पत्रांक-650/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-89 संगत राज्यांश-8902-समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद 61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस०एन०ए० में अन्तरण" में कुल प्रावधानित धनराशि रू0 111573.40 लाख के सापेक्ष संगत राज्यांश रू0 37500.00 लाख (रुपये तीन अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:

aanganwadiuttarpradesh.com

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार / राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्समबंधी मानकों/ दिशा निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना / कार्यक्रम/मद / इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।
4. प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

6. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के संबंध में सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

7. स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

8. उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

10. योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

aanganwadiuttarpradesh.com

11. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- बी-1-1195 / दस- 16/94, दिनांक 06 जून, 1994 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/ बी-1-829/ दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021, शासनादेश संख्या5/2022/ बी-1-224/ दस- 2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 तथा शासनादेश संख्या-13/2022/ वी-1-454/ दस- 2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,75,00,00,000 ( रुपये तीन अरब पचहत्तर करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 2235021028902 समन्वित बाल विकास योजना **मानक मद** 61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-214-X_2022-23, दिनांक 30.09.2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**(महावीर प्रसाद गौतम)**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

**संख्या-70/2022/3416/001-58-1-2022-2-3-2, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज
(3) सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 / वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
(6) वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
(7) आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

aanganwadiuttarpradesh.com
http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।